(335)

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प.3(ग्रुप-बी)[illegible] जयपुर दिनांक 23 NOV 2012

आदेश

जयपुर विकास प्राधिकरण/जोधपुर विकास प्राधिकरण/राजस्थान आवासन मण्डल/नगर विकास न्यास/नगर निगम/नगर परिषद्/पालिकाओं द्वारा विगत वर्षो में ई.डब्ल्यू.एस. एल.आई.जी. एवं मध्यम वर्ग के मकानों पर मासिक किश्तों का भुगतान समय पर नहीं किये जाने के कारण ब्याज राशि एवं शास्ति में दिनांक 30.09.2012 तक छूट प्रदान किये जाने के आदेश प्रदान किये गये थे।

राजस्थान नगर सुधार (शहरी भूमि का निष्पादन) नियम, 1974 के नियम 31 के तहत प्रदत्त शक्तियों प्रयोग करते हुए उक्त छूट की अवधि आदेश जारी होने की तारीख से दिनांक 31.03.2013 तक बढ़ाये जाने की शासकीय स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(गुरदयाल सिंह सधु)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, नगरीय विकास विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय शासन विभाग।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
6. आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
7. समस्त जिला कलक्टर..... (राजस्थान)।
8. उप शासन सचिव प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास विभाग।
9. सचिव, जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर।
10. सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
11. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपने स्तर पर समस्त स्थानीय निकायों को सूचित करावें।
12. सचिव, नगर सुधार न्यास.....(समस्त)
13. रक्षित पत्रावली।

22/11/2012

(एन.एल.मीना)
शासन उप सचिव–तृतीय

(81)

Gopal Hemendra/UDH/Order/2011